



EDITOR'S SCATVIEW

Manoj Kumar Madhavan

The amendment of the new tariff order NTO 2.0 by the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) saw some of the top broadcasters like ZEE, Sun TV, Discovery Communication India, Disney Star India, Viacom18 and Culver Max Entertainment reviewing their pricing strategy. The new pricing will be effective February 1, 2023. The entire effort saw a new found bonhomie between K Madhavan, Disney Star Country Manager & President and TRAI Chairman PD Vaghela with Madhavan praising TRAI chairman for his active stance in taking the collaborative route to deal with the NTO 2.0 related issues.

All top broadcasters are revising pricing strategy and publishing their RIOS. This has left the cable industry in a tizzy and there are fears echoed by the cable industry, which now feels that the changes will entail loss of subscribers to OTT and Free Dish. These legitimate concerns of the cable industry needs to be addressed by the authorities and a similar collaborative approach needs to be taken to address the issues of the cable industry. The initiative needs to come from TRAI, I&B Ministry and all other active stakeholders.

The All India Digital Cable Federation (AIDCF) has challenged the Telecom Regulatory Authority of India's (Trai) November 2022 amendments to the new tariff order (NTO) 2.0 before the Kerala High Court. The Federation, which is the apex body of multi system operators (MSOs), has urged the HC to set aside amendments to the NTO 2.0 which were issued on 22nd November and order the Trai to maintain status quo till their petition is disposed.

A recent update mentioned that The information & broadcasting sector attracted foreign direct investment (FDI) worth Rs. 1,766 crore in 2022. The I&B ministry approves the formulation of FDI policies in the broadcasting, film. FDI in both film is permissible up to 100% and so also the FDI in cable, DTH, and entertainment is 100%. But the FDI in cable has not seen any major investors pumping in money into this sector. This issue needs to be looked and addressed on what are the factors for the lack of capital influx into the cable industry.

The Telecom Regulatory Authority of India recommendation on the registration for MSOs should be done for 10 years and that the processing fee to be fixed at Rs.1 lakh. This should provide a level of transparency.

In a major step to improving the broadcast infrastructure the Govt has given a major boost for Public Service Broadcasting: and improving the Broadcasting Infrastructure and Network Development (BIND) with an outlay of Rs.2,539.61 crore up to 2025-26.

Wishing all the readers a very happy and prosperous 2023.

(Manoj Kumar Madhavan)



भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा नये टैरिफ आर्डर एनटीओ 2.0 में संशोधन के बाद जी, सन टीवी, डिस्कवरी कम्युनिकेशन्स इंडिया, डिज्नी स्टार इंडिया, वॉयकाम 18 और कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट जैसे कुछ शीर्ष प्रसारकों ने अपने मूल्य निर्धारण रणनीति की समीक्षा की। नया मूल्य निर्धारण 1 फरवरी 2023 से प्रभावी होगा। पूरे प्रयास में के.माधवन, डिज्नी स्टार के कंट्री मैनेजर व अध्यक्ष और ट्राई के अध्यक्ष पीडी वाघेला के बीच एक नया संबंध देखने को मिला, जिसमें माधवन ने एनटीओ 2.0 से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सहयोगी मार्ग लेने में सक्रिय रहने अपनाने के लिए ट्राई के अध्यक्ष की प्रशंसा की।

सभी शीर्ष प्रसारकों ने मूल्य निर्धारण की रणनीति को संशोधित किया है और अपने रियो को प्रकाशित किया, जिससे केवल उद्योग में खलवली मच गयी और जिससे केवल उद्योग द्वारा आशंकायें जतायी जाने लगी, जिसे अब डर है कि वदलाव से उन्हें ग्राहकों का नुकसान होगा, जिसका फायदा ओटीटी व फ्रीडिश को होगा। केवल उद्योग की इन वैध चिंताओं को अधिकारियों द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है और केवल उद्योग के मुद्दों को हल करने के लिए एक समान सहयोगी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। ट्राई, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और अन्य सभी सक्रिय हितधारकों से पहल करने की आवश्यकता है।

ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (एआईडीसीएफ) ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के नवंबर 2022 के नये टैरिफ आर्डर (एनटीओ) 2.0 में संशोधन को केंद्र उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है। फेडरेशन, जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) का शीर्ष निकाय है, ने 22 नवंबर को जारी किये गये एनटीओ 2.0 में संशोधन को रद्द करने और ट्राई को उनकी याचिका के निपटारे तक यथास्थिति बनाये रखने के लिए आदेश देने का आग्रह किया है।

एक हालिया अपडेट में उल्लेख किया गया है कि सूचना और प्रसारण क्षेत्र ने 2022 में 1,766 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित किया। आईएंडवी मंत्रालय प्रसारण, फिल्मों में एफडीआई नीतियों के निर्माण की मंजूरी देता है। दोनों यानि फिल्मों में 100% तक एफडीआई की अनुमति है और इसी प्रकार केबल, डीटीएच और मनोरंजन में भी 100% एफडीआई है। लेकिन केवल में एफडीआई ने किसी बड़े निवेशक को इस क्षेत्र में पैसा लगाते हुए नहीं देखा है। केवल उद्योग में पूंजी प्रवाह की कमी के कारक क्या हैं, इस मुद्दे को देखने और संबोधित करने की आवश्यकता है।

एमएसओ के लिए पंजीकरण पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की सिफारिश 10 साल के लिए की जानी चाहिए और प्रोसेसिंग शुल्क को 1 लाख रुपये तय किया जाना चाहिए। यानी पारदर्शिता का एक स्तर प्रदान करना चाहिए।

प्रसारण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक बड़े कदम के रूप में सरकार ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण को बढ़ावा दिया है और 2025-26 तक 2,539.61 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रसारण बुनियादी ढांचे और नेटवर्क विकास (वीआईएनडी) में सुधार करने की योजना बनायी है।

सभी पाठकों को बहुत उम्दा और समृद्ध 2023 की शुभकामनायें।

(Manoj Kumar Madhavan)

